

बिहार लोक सेवा आयोग,

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना- 800001

शिक्षा विभाग, बिहार के अधीनस्थ राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवम् अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राचार्य, जन्तु विज्ञान (वि.सं. 68/2014) के तहत प्राप्त आपत्ति आवेदनों एवं सदृश मामलों पर पुनः समीक्षोपरान्त एवं विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों को पूर्णतया औपबधिक रूप से अर्हित करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है :-


क्र. सं.	नाम	अनुक्रमांक	पूर्व की स्थिति	वर्तमान स्थिति	साक्षात्कार की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	शैलेन्द्र कुमार राकेश	68010039	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
2.	मृदुला कुमारी	68010119	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
3.	सुधीर कुमार	68010392	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
4.	अनिल कुमार शाक्य	68010394	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
5.	भावना सिंह	68010763	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
6.	मनीष भारद्वाज	68010906	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
7.	हसन रजा काजमी	68011074	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
8.	शिव कुमार	68011702	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
9.	नेहा सिंह	68011798	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
10.	वसीम रजा	68012384	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)
11.	राजेश वर्मा	68012388	Ineligible	Pro Eligible	22.04.2017 (Afternoon)

1. शेष उम्मीदवारों के आपत्ति अभ्यावेदनों के समीक्षोपरान्त उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने, स्नातकोत्तर की उपाधि Not Fit For Zoology रहने, Ph.D की उपाधि UGC Reg-2009 के अनुरूप नहीं रहने, Life Science में NET नहीं उत्तीर्ण रहने, आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि -05.01.2015 तक NET नहीं उत्तीर्ण रहने आदि कारणों से निम्नांकित उम्मीदवारों को पुनः अनर्हित की श्रेणी में ही रखा जाता है:-

68010007	68010012	68010022	68010028	68010049	68010057	68010066	68010083	68010089
68010091	68010107	68010136	68010178	68010220	68010232	68010237	68010261	68010266
68010267	68010296	68010323	68010348	68010353	68010356	68010365	68010373	68010387
68010404	68010405	68010407	68010425	68010426	68010432	68010455	68010464	68010489
68010491	68010494	68010519	68010523	68010537	68010543	68010583	68010588	68010608
68010615	68010618	68010631	68010644	68010655	68010660	68010732	68010749	68010758
68010772	68010778	68010801	68010802	68010822	68010849	68010865	68010883	68010917
68010929	68010931	68010969	68010982	68010990	68010991	68010997	68011004	68011022
68011037	68011043	68011065	68011139	68011158	68011188	68011197	68011213	68011229
68011236	68011269	68011316	68011330	68011350	68011356	68011383	68011391	68011404
68011405	68011407	68011410	68011421	68011427	68011452	68011474	68011475	68011489
68011507	68011511	68011515	68011518	68011523	68011542	68011546	68011550	68011571
68011582	68011592	68011596	68011621	68011629	68011638	68011656	68011663	68011669
68011696	68011738	68011739	68011793	68011795	68011803	68011823	68011829	68011856
68011867	68011890	68011900	68011974	68011976	68011993	68011995	68012105	68012107
68012112	68012134	68012181	68012268	68012274	68012282	68012299	68012322	68012324

68012326	68012343	68012349	68012350	68012352	68012375	68012377	68012380	68012389
68012398	68012467	68012479	68012480	68012488	68012494	68012540	68012547	68012577
68012583	68012584	68012629	68012651	68012670	68012692	68012725	68012728	68012732
68012751	68012796	68012862	68012876	68012889	68012906	68012907	68012925	68012929
68012956	68012963	68013003	68013007	68013012	68013051	68013074	68013078	68013079
68013123	68013139	68013156	68013172	68013232	68013248	68013273	68013302	68013305
68013318	68013319	68013325	68013357	68013360	68013364	68013376	68013398	68013408
68013434	68013440	68013469	68013497	68013527	68013529	68013532	68013533	68013560
68013564	68013581	68013620	68013640	68013655	68013669	68013673	68013674	68013698
68013706	68013707	68013714	68013717	68013719	68013724	68013770	68013794	

- उपर्युक्त सभी औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के आधार पर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। उक्त उम्मीदवारों को तत्काल पूर्णतः औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल कराया जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों की अर्हता पर यथासमय निर्णय लेने का अधिकार आयोग को सुरक्षित रहेगा।
- साक्षात्कार पत्र निर्गत होने या साक्षात्कार में भाग लेने से किसी उम्मीदवार की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। अर्हित/औपबंधिक रूप से अर्हित उम्मीदवारों की अर्हता पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।


 31/5/2017
 विशेष सचिव -सह-परीक्षा नियंत्रक
 बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।